पत्रांक : 6/ए०(भत्ता)-01/2012-3211/वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची/दिनांक : 08.09.14

संकल्प

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यकर्मियों को एल०टी०सी० सुविधा अनुमान्य करने के संबंध में।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 द्वारा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है। उक्त संकल्प के द्वारा राज्यकर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान के अलावा महँगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता सहित तथा अन्य भत्ता अनुमान्य किया गया है। किन्तु, केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को पूर्व से अनुमान्य LTC सुविधा में किसी प्रकार का संशोधन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में नहीं किया जा सका है।

2. राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति केन्द्रीय वेतनमान केन्द्रीय सेवाशर्त्त एवं अन्य सुविधाएँ देने के बिन्दु पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत है तथा राज्य स्तर पर गठित फिटमेंट कमिटी ने भी केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप LTC अनुमान्य करने की अनुशंसा की है।

3. केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को LTC अनुमान्य करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

4. अतः केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को LTC सुविधायें निम्न रूप से अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है :–

(क) केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को चार वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार पूरे देश की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा अनुमान्य होगी। परन्तु सरकारी सेवकों को पूरे सेवा काल में मात्र दो बार यह सुविधा अनुमान्य होगी।

(ख) LTC के प्रयोजनार्थ यात्रा संबंधी पात्रता, सरकारी दौरे/स्थानान्तरण के समरूप रहेगा। परन्तु LTC पर यात्रा के लिये कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह सुविधा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियत्रंणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निकाय अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक वाहनों द्वारा निष्पादित यात्राओं के संबंध में भी स्वीकार्य होगी।

(ग) LTC के निमित्त परिवार से अभिप्रेत है :–

(i) सरकारी सेवक की पत्नी या पति और दो जीवित अविवाहित संतान अथवा सौतेले संतान जो सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित हो